

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:27(1)RCH-2/MDR/2006/ 18837

दिनांक: 28/02/13


मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
समस्त जिलें

विषय:- मातृ मृत्यु की सूचना पर प्रोत्साहन राशि देने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारत सरकार से प्राप्त दिशानिर्देश अनुसार प्रत्येक मातृ मृत्यु की रिपोर्टिंग अनिवार्य है। रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने हेतु 24 घण्टे के भीतर मातृ मृत्यु की सूचना खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी को देने पर सूचना प्रदाता (आशा व आगनबाड़ी कार्यकर्ता) को रूपये 200 प्रति मातृ मृत्यु के अनुसार दिया जाना है।


इस संदर्भ में निदेशालय के स्वीकृति आदेश क्रमांक:27(1)RCH-2/MDR/2006/5025 दिनांक:28.06.2012 द्वारा राशि आवंटित की गयी।

अतः अपने अधीनस्थ समस्त खण्ड अधिकारियों को राशि स्थानान्तरित करते हुए प्रत्येक मातृ मृत्यु की सूचना 24 घण्टे के भीतर देने पर सूचना प्रदाता (आशा व आगनबाड़ी कार्यकर्ता) को रूपये 200 प्रति मातृ मृत्यु पर भुगतान हेतु निर्देशित करे तथा वितरित की गयी राशि को एफ.एम.आर के मद संख्या A1.5 में दर्शाना सुनिश्चित करावें।


निदेशक (आर.सी.एच)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु: -

1. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एन0आर0एच0एम0।
2. सलाहकार आशा, एन.आर.एच.एम।
3. जिला प्रजनन शिशु एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिले।
4. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, समस्त जिलें।
5. जिला आशा कॉर्डिनेटर, समस्त जिले।
6. सर्वर रूम।
7. रक्षित पत्रावली।


निदेशक (आर.सी.एच)